-प्रेस नोट-

दिनांकः- 30.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण,अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चालये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **सद्दाम पुत्र असलम निवासी ग्राम सरुरपुर गाढा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को पिलखनी ओवरब्रिज,कस्बा सरसावा के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 22/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ। हरियाणा राज्य से सस्ते दाम में शराब खरीदकर आस पास के क्षेत्रो में अधिक दाम पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हुँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सद्दाम पुत्र असलम निवासी ग्राम सरुरपुर गाढा थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 –264/22 धारा 323/354/504/506 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर।

मु0अ0सं0 –224/23 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री चन्दपाल सिंह , थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 97 अनुराग थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3.का0 2312 राजू थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 30.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का व 01 मोटरसाइकिल सहित 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एंव नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 30.01.2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त** दुष्यंत उर्फ गोल्डी पुत्र शिवबालक नि0 रायपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को कारण गिरफ्तारी बताते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का पालन करते हुए रायपुर रोड पर ग्राम तेलीपुरा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 24/2024 धारा 411 भादवि 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं कक्षा 10 तक पढा हूँ तथा नशा करने का आदी हूँ। अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिये हरियाणा से सस्ती शराब खरीदकर लाता हूँ तथा गांव के लोगो ज्यादा पैसों में बेच देता हूँ। और इससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है। जिससे मैं अपनी नशे की लत को भी पूरा कर लेता हूँ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त

दुष्यंत उर्फ गोल्डी पुत्र शिवबालक नि0 ग्राम रायपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

अभियुक्त दुष्यन्त उर्फ गोल्डी का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 –186/14 धारा 147/148/149/323/504 भादवि थाना सरसावा स0पुर

बरामदगी का विवरणः-

12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

01 मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री देवेश कुमार , थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 1006 तरुण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 30.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा व0उ0नि0 श्री मनोज कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त दुज्जन उर्फ दुर्जन पुत्र इकराम निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित परिवाद सं0 3156/22 धारा 323/506 भादवि व 3(1)10 एससी एसटी एक्ट को ग्राम कासमपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.दुज्जन उर्फ दुर्जन पुत्र इकराम निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री देशराज सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. का0 2219 रोहित कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 30.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर/अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी मोटरसाइकिल टी0वी0एस0 स्पोर्टस बरामद-

अवगत कराना है कि दिनांक 21.12.2023 को वादी श्री अमन कुमार पुत्र राजकुमार नि0 शारदानगर सदर बाजार, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल टीवीएस स्टार स्पोर्टस न0 यू0पी0 11 बीएस 7083 को खलासी लाइन क्षेत्र से चोरी कर ले जाने के संम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 530/23 धारा 379 भादवि के पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण/अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेत्तृव में आज दिनांक 30.01.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी मोटरसाइकिल सहित **अभियुक्तगण 1. अभिषेक पुत्र अशोक कुमार निवासी हथियाथल थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार व 2. देव कुमार पुत्र वेदप्रकाश निवासी शारदा नगर जगन्नाथ मन्दिर वाली गली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को कारण गिरफ्तारी बताते हुए मुर्गा मार्किट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से मोटरसाइकिल टीवीएस नम्बर नं0 UP11BS 7083 रंग काला बरामद हुई| गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि यह मोटरसाइकिल हम दोनो ने पिछले महीने शाम के समय जायका फास्ट फूड खलासी लाईन से चोरी की थी तथा देव ने बताया कि यह मोटर साईकिल मेरे ममेरे भाई अमन की है जिसको बताये बिना मैने अपने उधार के पैसे चुकाने के लिये इसे अपने साथी अभिषेक के साथ चोरी किया था तथा छुपाकर रख रखा था तथा आज हम दोनो एक व्यक्ति को यह मोटर साईकिल बेचने के लिये औजपुरा की पुलिया पर जा रहे थे कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पताः-

(1) अभिषेक पुत्र अशोक कुमार निवासी हथियाथल थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

(2) देव कुमार पुत्र वेदप्रकाश निवासी शारदा नगर जगन्नाथ मन्दिर वाली गली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 मोटरसाइकिल (टी0वी0एस0 स्पोर्टस नं0 UP11BS 7083 रंग काला)

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम -

1.उ0नि0 श्वेता शर्मा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

2.का0 2329 अनिल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

3. का0 2064 रूचिन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 30.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा मात्र 01 घण्टे मे जान से मारने की नियत से फायर कर घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 30/01/2024 को वादी नौशाद अली पुत्र इस्लाक निवासी ग्राम ईस्माइलपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर बाबत वादी के पुत्र को जाने से मारने की नियत फायर करने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0स0 024/24 धारा 307 भादवि बनाम गय्यूर पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम समसपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 30.01.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **अभियुक्त गय्यूर पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम समसपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को कुतुबपुर से रायपुर रोड से कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि महफूज के साथ मेरा पुराना विवाद चल रहा है। महफूज मुझे बस अड्डे पर खडा मिला जिस पर मै जाने से मारने की नीयत फायर करके वहाँ से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गय्यूर पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम समसपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 तमंचा 315 बोर 315 बोर

01 खोखा कारतूस 315

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री देवेश कुमार , थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 1006 तरुण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3.है0का0 1050 नितिन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 1259 विनित थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म का 01 वांछित अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

दिनाँक 12.01.24 को वादिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र बावत भवर सिंह पुत्र ब्रहमपाल निवासी जीवणा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर द्वारा वादिया की नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना नांगल पर मु0अ0सं0 05/24 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना अपहर्ता की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 366/376 (3) भादवि व ¾ पोक्सो अधिनियम की वृद्धी की गयी।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन मे,अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नांगल श्री त्रिभुवन सिंह के कुशल नेतृत्व मे थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 30.01.2024 को मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त **अभियुक्त भंवर सिंह पुत्र ब्रहमपाल सिंह निवासी जीवणा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर को उसके हाल पता** यमुना नगर आदर्श नगर नियर गाधी नगर फाटक के पास थाना गाँधी नगर जिला यमुना नगर हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

भवर सिंह पुत्र ब्रहमपाल निवासी **निवासी जीवणा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. का0 1926 अमित कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. का0 2440 हरकेश सिह थाना नांगल जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 30.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष चिलकाना श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 30.01.2024 को **03 वांरटी अभियुक्तगण 1. असवद पुत्र खुशनुद नि0 ग्राम औरंगजेबपुर संबंधित एसटी नम्बर-2970/2023 धारा- 379/411 भादवि मा0 न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय को उसके घर ग्राम औरंगजेबपुर से 2. शमसाद पुत्र सईद निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर 3. फरमान पुत्र इलियास नि0गण ग्राम फिरोजाबाद को संबंधित एसटी नम्बर-10163/23 धारा -60 आबकारी अधिनियम मा0 न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर को उनके घर ग्राम फिरोजाबाद से** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण को समय से मानीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. असवद पुत्र खुशनुद निवासी ग्राम औरंगजेबपुर थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. शमसाद पुत्र सईद निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. फरमान पुत्र इलियास निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर।

अभियुक्त असवद का आपराधिक इतिहास

अ0स0 359/21 धारा—379/411 भादवि चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर

अ0स0 361/21 धारा—8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर

अभियुक्त शमशाद का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0—326/15 धारा—60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।

अभियुक्त फरमान का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0- 326/15 धारा—60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. उ0नि0 सुरेश कुमार थाना चिलकाना सहरनपुर।
2. उ0नि0 विजय सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. है0का0 934 संजीव कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. का0 1801 प्रवेश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 30-01-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 03 घंटे में "घर में चोरी की घटना" कारित करने वाला 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान, 570/- रुपये नगद तथा 01 नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 30.01.2024 को वादी श्री फरमान पुत्र अनवर निवासी इन्द्रा चौक, गली न0-09 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 24/2024 धारा 380 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी की घटनाओं की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.01.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त **सद्दाम पुत्र हाशिम निवासी मंसूर कालोनी गली नं0 9 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को** चोरी गये समान (**04 पैकिट बैग की चैन के रनर, 01 पर्स, 570/- रुपये नगद, 01 श्रम कार्ड, 01मोबाइल फोन वीवो कम्पनी, 02 कंगन पीली धातु व 01 शोकबन्द पीली धातु**), व 01 चाकू सहित कमेले की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 25/24 धारा 4 /25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त सद्दाम द्वारा बताया गया कि जो समान आप लोगों ने मुझसे बरामद किया गया है, वो मैंने कल रात अपने पडोसी फरमान के घर मे से चोरी किया था। आज जब मैं चोरी किये गये समान को बेचने जा रहा था। मैं चाकू अपने आप चोरी करते वक्त लोगो को डराने के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सद्दाम पुत्र हाशिम निवासी मंसूर कालोनी गली नं0 9 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी-

- 04 पैकिट बैग की चैन के रनर,
- 01 पर्स
- 570/- रुपये नगद,
- 01 श्रम कार्ड,
- 01मोबाइल फोन वीवो कम्पनी ,
- 02 कंगन पीली धातु के व
- 01 शोकबन्द पीली धातु तथा
- 01 चाकू नाजायज बरामद

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 663 बालेन्द्र राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 672 प्रदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 30.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्ता गिरफ्तार,कब्जे से 60 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब की बिक्री व निर्माण में संलिप्त वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बडगाँव परविंदर पाल सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 30.01.24 को मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्ता **चुनिया पत्नी जयबीर निवासी ग्राम सावंतखेडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर** को 60 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया | बरामदगी के आधार पर अभियुक्ता के विरुद्ध थाना बडगांव पर मु०अ०स० 21/24 धारा 60(2) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया| अभियुक्ता के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

चुनिया पत्नी जयबीर नि0 ग्राम सावंतखेडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 कनस्तर।
- 01 एल्यूमिनियम की पतीली व प्लेट
- 03 प्लास्टिक के डिब्बे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री परविंदर पाल सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सौरव कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री रामप्रकाश पाण्डेय थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर।
4. म0आरक्षी 729 ज्योति थाना बडगांव जनपद सहारनपुर |
5. का0 2378 सन्नी थाना बड़गांव जिला सहारनपुर।
6. एचजी 2077 सतीश थाना बड़गांव जिला सहारनपुर।

दिनांकः 30.01.2024

-प्रेस नोट-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या-5 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 08 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है कि दिनांक 31.12.2013 को वादी प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजपाल सिंह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर के द्वारा 1-राकेश उर्फ डब्बू पुत्र नक्कल सिंह नि0 रण्डौल थाना बेहट 2-जब्बार पुत्र गफूर 3- सुभाष सैनी पुत्र करन सिंह 4- युनुस पुत्र रफीक निवासीगण मुजफराबाद थाना फतेहपुर, सहारनपुर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अपराध कारित करने की सूचना पर मु0अ0सं0 285/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना जनकपुरी पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-20/2014 पर माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या-5 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में "OPERATION CONVICTION" में चिन्हित मॉनीटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या-5 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 30.01.2024 को अभियुक्त 1-राकेश उर्फ डब्बू पुत्र नक्कल सिंह निवासी रण्डौल थाना बेहट, सहारनपुर को 285/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास व 8000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज चैहान
विवेचक श्री अजय कुमार चौहान थाना प्रभारी सदर बाजार
पैरोकार हे0का0 754 प्रीतम सिंह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मानीय न्यायालय जिला जज जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 01 लाख 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -

अवगत कराना है, कि दिनांक 11.03.2012 को वादी श्री मतलूब पुत्र युसूफ नि0 बाडीमाजरा थाना गंगोह के लडके प्रवेज का अभियुक्तगण 1-महबूब पुत्र जिन्दा नि0 बाडीमांजरा थाना गंगोह 2-महमूद पुत्र जिन्दा 3-जिन्दा पुत्र जाफर 4-अमजद पुत्र जिन्दा नि0गण उपरोक्त जनपद सहारनपुर द्वारा अपहरण कर हत्या कर लाश को छिपा देने की सुचना पर मु0अ0सं0 149/2012 धारा 302,201,364,34 भादवि थाना गंगोह पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 643/2012 पर माननीय न्यायालय जिला जज जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनीटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय जिला जज जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 30.01.2024 को अभियुक्तगण **1-महबूब पुत्र जिन्दा 2-महमूद पुत्र जिन्दा को मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 149/2012 धारा 302,201,364,34 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 01 लाख 30 हजार रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री राजबीर सिंह
विवेचक निरीक्षक प्रमोद कुमार थाना गंगोह
पैरोकार है0का0 720 पंकज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।